गुडामालानी

23/05/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी अधिवक्ता वकील वादी द्वारा विपक्षीगण के सम्मन डाक द्वारा भेजकर रसीदें (पोस्ट ऑफिस की डिलीवरी रिपोर्ट) पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समक्ष तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीलदार जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली विधि अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या 69 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. पाबूराम पुत्र कानाराम
   जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गुलाबाराम पुत्र भागचंद
2. सदराम पुत्र भागचंद
3. सोभी पत्नी केसाराम
4. डिमलराम पुत्र गोबताराम
5. लालाराम पुत्र जगराम जाति विश्नोई
6. दुर्गाराम पुत्र ताजाराम
7. नारणाराम पुत्र खेताराम
8. पताराम पुत्र खेताराम
9. भीखाराम पुत्र खेताराम
10. मांगाराम पुत्र खेताराम
11. भलाराम पुत्र खेताराम
12. पुखराज पुत्र मेगाराम
13. मेगाराम पुत्र डिमलराम
14. संजू पुत्री मेगाराम
15. सरस्वती पुत्री मेगाराम जाति मेघवाल
16. गुमनाराम पुत्र भैराराम
17. पताराम पुत्र भैराराम
18. पदमोदेवी पत्नी अरजनराम
19. बाबूलाल पुत्र अरजनराम
20. मेघाराम पुत्र हरचंदराम
21. अणदी पत्नी अमराराम
22. केशाराम पुत्र फूसाराम
23. खरथाराम पुत्र अमराराम
24. खेराजराम पुत्र अमराराम
25. चूनाराम पुत्र अमराराम
26. चिमना पुत्र वरजांगा
27. झीमोदेवी पत्नी फूसाराम
28. पाबूराम पुत्र अमराराम
29. भूराराम पुत्र अमराराम
30. विशनाराम पुत्र फूसाराम
31. सोनाराम पुत्र अमराराम
32. गोमाराम पुत्र केसराराम
33. धनाराम पुत्र केसराराम
34. पोकरराम पुत्र केसराराम
35. वीरमाराम पुत्र केसराराम
36. सवाईराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी
37. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.05.2023

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मौखवा पटवार क्षेत्र मौखावा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 212/2, 212/4, 226/7, 250/2, 250/3 रकबा क्रमशः 1.1331, 12.8933, 0.5180, 0.9955, 0.0243 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र मौखावा के राजस्व ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर 212/2, 212/4, 226/7, 250/2, 250/3 रकबा क्रमशः 1.1331, 12.8933, 0.5180, 0.9955, 0.0243 हैक्टेयर भूमि के सम्वन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23-5-23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलवी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद/2023/612 दिनांक : 23.5.23

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पाडूराम		गुलाबाराम वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......69/2023.. निर्णय दिनांक :– 23.05.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर......212/2, 212/4, 226/7, 250/2, 250/3 रकबा कमशः 1.1331, 12.8933, 0.5180, 0.9955, 0.0243 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुड़ामालानी.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....1000/–...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमवंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 23-5-23

कमांकः वाद/2023/613-614
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी....मौखावा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ....पाडूराम पुत्र कानाराम
5. विप्रार्थी .....गुलाबाराम वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी